12.50 hrs.

LABOUR PROVIDENT FUND LAWS (AMENDMENT) BILL\*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOY-MENT AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948 and the Employees' Provident Funds Act, 1952.

श्री शिव चन्द्र झा (मघुवनी) : क्या सरकार इस विधेयक को पास कराने का ख्याल नहीं रखती? क्या सरकार का मकसद इसको केवल मात्र इंट्रोड्यूस करने का है? आपने इस पर राष्ट्रपति की अनुमति 17।(1) में ली है।

मंत्री महोदय कहेंगे कि अनुच्छेद 117(3) के अन्तर्गत राष्ट्रपित की अनुमित लेने की स्टेज बाद में आयेगी । लेकिन प्रश्न यह है कि इस विधेयक को कनसिडर करने और पास करने के लिए राष्ट्रपित की अनुमित क्यों नहीं ले ली गई है । इससे यह मालूम होता है कि सरकार का मकसद है कि सिर्फ इस बिल को इन्ट्रोड्यूस करने का है । हो सकता है कि बाद में सरकार इस विधेयक को ड्राप कर दे । कोलमाइन्ज के प्राविडेंट फंड की प्राबलम को सरकार सीरियसली हैंडल नहीं करती है, बिल्क वह टिंकरिंग विद दि प्राबलम कर रही

है। क्या वजह है कि सरकार ने अनुच्छेद 117(3) के अन्तर्गत राष्ट्रपित की अनुमित नहीं ली है? अच्छा होता कि सरकार अनुच्छेद 117(3) के अन्तर्गत भी राष्ट्रपित की अनुमित ले लेती और तब इस विघेयक को इन्ट्रोड्यूस करती। सरकार ने ऐसा नहीं किया है, यही मेरी आपत्ति है।

श्री मःगवत का आखाद : अध्यक्ष महोदय, हमारा इरादा इस विधेयक को जल्दी से जल्दी पास करने का है। हम इस बारे में बहुत सीरियस हैं और ज्यों ही समय मिलेगा, हम इसको तुरन्त पास करना चाहते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति लेने में कोई दिक्कत नहीं है।

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948 and the Employees' Provident Funds Act, 1952."

The motion was adopted.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Sir, I introducet the Bill.

12.55 hrs.

INDIAN MEDICINE CENTRAL COUNCIL BILL—contd.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING, AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY): Sir, I was speaking the other day about the main points of this Bill.

There are in the country today about 50,000 institutionally trained practitioners of Indian medicine as against 1,40,000 registered practitioners who have not undergone institutional training. One of the important functions of the Indian Medicine Central

<sup>\*</sup>Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, deted 7-12-1970. †Introduced with the recommendation of the President.